संख्या:-158/2023/993/23-5-23-50(40)ईजी/08

प्रेषक,

अजय चौहान,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उ0प्र0।
3- प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ।
4- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ: दिनांक : 12 सितम्बर, 2023**

विषय:-**विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण में बाधक बन रहे राज्य के निधियों से निर्मित उनके नियंत्रण के अधीन भवनों के ध्वस्तीकरण के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में उल्लेखनीय है, कि उ0प्र0 राज्य के स्वामित्व के भवनों की ध्वस्तीकरण के संबंध में लोक निर्माण अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-477-सी0/23-5-08-50(40) ई0जी0/2008, दिनांक-26.03.2008 तथा शासनादेश संख्या-1419ईजी/23-5-11-50(40)ईजी/08, दिनांक-26.09.2011 द्वारा पूर्व में नीति निर्गत की गयी थी।

2- कालान्तर में लोक निर्माण अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-1883ईजी/23-5-13-50(40)ईजी/08, दिनांक-10.10.2013 द्वारा उक्त ध्वस्तीकरण नीति को निरस्त करते हुये भवनों के ध्वस्तीकरण के संबंध में यह निर्णय लिया गया, कि पूर्व से विद्यमान वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-1 व खण्ड-5, लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण मैनुअल पार्ट-2 (भवन), "उ0प्र0 कार्य नियमावली 1975" तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती रहेगी। उक्त व्यवस्था के क्रम में वर्तमान में ध्वस्तीकरण के संबंधित प्रकरणों में कार्यवाही की जाती है।

3- इस संबंध में प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-1462/194(5)बी0पी0विंग/2023-24, दिनांक-21.07.2023 द्वारा ध्वस्तीकरण नीति बनाये जाने के संबंध में वर्तमान स्थिति/व्यवस्था का उल्लेख करते हुये राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं/निर्माण के अन्तर्गत सुनियोजित विकास, सुरक्षा, सौन्दर्यीकरण अथवा किन्हीं अन्य विशिष्ट कारणों से पूर्व में कराये गये निर्माण का ध्वस्तीकरण आवश्यक एवं अपरिहार्य होने पर उक्त भवनों के ध्वस्तीकरण हेतु नीति प्राख्यापित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया।

4- प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ के उक्त प्रस्ताव दिनांक-21.07.2023 पर प्राप्त मा0 मंत्रि-परिषद के अनुमोदन के क्रम में मुझे यह कहने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

निदेश हुआ है, कि विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण में बाधक बन रहे उ0प्र0 सरकार के स्वामित्व के विभिन्न पुराने भवनों के ध्वस्तीकरण के संबंध में कार्यवाही निम्नलिखित परिस्थितियों में की जायेगी:-

(क)- भवन की डिजाइन लाईफ (परिकल्पित आयु) पूर्ण होने, भवन के जीर्ण-शीर्ण होने, नींव के कमजोर होने, नींव के बैठने, छत के कमजोर होने, संरचना के लिए असुरक्षित होने की स्थिति में आ गया हो अथवा भवन अनुपयोगी हो गया हो।

(ख) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ऐसी परियोजनाएं/योजनायें/निर्माण, जिनके अन्तर्गत किसी भवन अथवा निर्माण को ध्वस्त किया जाना सुनियोजित विकास, सुरक्षा, एफ0ए0आर0 पुनरीक्षण, उपयोग में परिवर्तन अथवा किन्हीं विशिष्ट कारणों से आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया हो।

प्रशासकीय विभाग द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी Guidelines for Valuation of Immovable Properties-2009 के अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन का मूल्यांकन कराते हुये उसकी लागत का समावेश नवीन परियोजना की डी0पी0आर0 में किया जायेगा। भवनों के ध्वस्तीकरण (प्राप्त मलबे का निर्माण के द्वारा अधिकाधिक पुर्नउपयोग करते हुए) कार्यदायी ठेकेदार के स्कोप में ही शामिल किया जायेगा, जिससे निर्माण कार्य के प्रारम्भ में विलम्ब न हो तथा मलबे का अधिकाधिक पुर्नउपयोग (Recycling) करते हुए पर्यावरण के संरक्षण में भी योगदान किया जा सके।

कृपया उपरोक्त से अवगत होते हुये तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अजय चौहान
प्रमुख सचिव।

संख्या-158/2023/993(1)/23-5-2023-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा/हकदारी), प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
3- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख अभियंता(परि0/नियो0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
5- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0 शासन।
6- मुख्य अभियंता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 **द्वारा** मुख्य अभियंता (भवन), लो0नि0वि0, मुख्यालय लखनऊ।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कामता प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in